रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2002/भाद्र 4, 1924
No. 394] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2002/BHADRA 4, 1924

वित्त तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2002

सं. 56/2002-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि 595(अ).—जबकि यह प्रतीत होता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) के प्रथम अनुसूची की शीर्ष 47.07 के अंतर्गत आने वाले, तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 मार्च,2000 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2000-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च,2000 [सा. का. नि. 168 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000] के सारणी में क्रम सं. 122 के सामने, एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 मार्च,2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित मंत्रालय (राजस्त विभाग) की अधिसूचना सं 17/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 [सा. का. नि. 116 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001] के सारणी में क्रम सं. 139 के सामने, विनिर्दिष्ट, माल का, जब उसका आयात किसी एकक द्वारा कागज के विनिर्माण में उपयोग या उसे प्रदाय के लिए, उक्त अधिसूचनाओं के उपाबंध में दिये गये उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन करते हुए किया गया हो, उक्त अधिसूचनाओं के तहत, 1 मार्च, 2000 से प्रारम्भ तथा 22 अक्तूबर, 2001 तक की अवधि के दौरान, शुल्क की रियायती दर पर आयात स्वीकृत था;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सीमाशुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) के तहत शुल्क का उदग्रहण (जिसमें इसका अननुदग्रहण भी है) के संबंध में साधारणतया; प्रचालित प्रथा के अनुरूप, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रथम अनुसूची के शीर्ष 47.07 के अंतर्गत आने वाले उक्त माल, जब उनका आयात किसी एकक द्वारा पेपर बोर्ड के विनिर्माण में उपयोग या उसे प्रदाय के लिये भी, उक्त अधिसूचनाओं के उपाबंध में दिये गये उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करते हुए किया गया हो, उपरोक्त अवधि के दौरान, शुल्क की रियायती दर पर आयात किया जा रहा था तथा उक्त माल पर उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त प्रथा के अनुरूप लगाये गये शुल्क से अधिक राशि का शुल्क संदेय था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रथम अनुसूची के शीर्ष 47.07 के अंतर्गत आने वाले उक्त माल पर, जब उनका आयात किसी एकक द्वारा पेपरबोर्ड के विनिर्माण में उपयोग या उसे प्रदाय के लिये किया गया हो, उक्त अवधि के दौरान किये गये आयात के संबंध में, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम तथा उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत संदेय सीमाशुल्क उक्त प्रथा के अनुसार संदेय अपेक्षित नहीं होगा ।

[फा. सं. 332/25/2001-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2002

No. 56/2002-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 595(E).— WHEREAS it appears that the goods falling under heading 47.07 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act), and specified against serial No. 122 of the Table of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2000-Customs, dated the 1st March, 2000, [G.S.R. 168 (E), dated the 1st March, 2000] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st March, 2000 and against serial No. 139 of the Table of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2001-Customs, dated the 1st March, 2001 [G.S.R. 116 (E), dated the 1st March, 2001] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st March, 2001, were allowed to be imported, by virtue of the said notifications, at concessional rate of duty when imported for use in, or supply to, a unit for manufacture of paper subject to fulfilment of certain conditions specified in the Annexures to the said notifications during the period commencing on the 1st day of March, 2000 and ending with the 22nd day of October, 2001;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof) under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Customs Act), the said goods falling under heading 47.07 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act were being allowed to be imported at concessional rate of duty when imported for use in, or supply to, a unit for manufacture of paperboard also, subject to fulfilment of the said conditions specified in the Annexures to the said notifications and that such goods were liable to a higher amount of duty than what was levied according to the said practice, during the aforesaid period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 28A of the said Customs Act, the Central Government, hereby, directs that the duties of customs payable under the said Customs Act and the said Customs Tariff Act on the said goods falling under heading 47.07 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act imported for use in, or supply to, a unit for manufacture of paperboard, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the aforesaid duties of customs were not levied during the aforesaid period, in accordance with the said practice.

[F. No. 332/25/2001-TRU]
VIVEK PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2002

सं. 86/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि 596(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2918.14 के अंतर्गत आने वाले इंडोनेशिया और थाईलैंड में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए सिट्रिक एसिड के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 14 जून, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि--

(क) इंडोनेशिया और थाईलैंड में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए सिट्रिक एसिड का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;

(ख) इंडोनेशिया और थाईलैंड से सिट्रिक एसिड के निर्यात के कारण भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) उक्त क्षति संचयी रूप से इंडोनेशिया और थाईलैंड से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और अभिहित अधिकारी ने इंडोनेशिया और थाईलैंड में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए सिट्रिक एसिड पर, अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए, और भारत में आयातित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2918.14 के अंतर्गत आने वाले सिट्रिक एसिड, पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है,

सारणी

क्रम सं	देश का नाम	राशि (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)
1.	इंडोनेशिया	456.67
2.	थाईलैंड	374.36

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क 25 फरवरी, 2003 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय दर " वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और " विनिमय दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/118/2002-टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2002

No. 86/2002-CUSTOMS

G.S.R. 596(E).— WHEREAS in the matter of import of Citric acid, falling under sub-heading 2918.14 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Indonesia and Thailand, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th June, 2002, has come to the conclusion that-

(a) Citric acid, originating in, or exported from, Indonesia and Thailand has been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury from exports of Citric Acid from Indonesia and Thailand;

(c) the injury has been caused cumulatively by the dumped imports from Indonesia and Thailand;

and has considered it necessary to impose anti-dumping duty , provisionally, pending final determination, on all imports of Citric acid, originating in , or exported from , Indonesia and Thailand.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on Citric acid, falling under sub-heading 2918.14 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the country specified in column (2) of the Table given below, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No.	Name of the country	Amount (US$/Metric tonne)
(1)	(2)	(3)
1.	Indonesia	456.67
2.	Thailand	374.36

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 25th day of February, 2003, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance & Company Affairs (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F No. 354/118/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2002

सा.का.नि 597(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का.नि. 557 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 79/2002–सीमाशुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2002 में पृष्ठों 3 से 4 में, पृष्ठ 4 में, लाइन 8 में,

" मेरीसोल " के स्थान पर " मेरीसोल " पढा जाये ।

[फा. सं. 354/124/2002–टी.आर.यू.]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th August, 2002

G.S.R. 597(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 79/2002-Customs, dated the 13th August, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.557(E), dated the 13th August, 2002,at pages 4 to 5,-

at page 5 , in line 10, *for* " Metisol" , *read* " Merisol".-

[F. No. 354/124/2002-TRU]
VIVEK PRASAD, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.